

--:: कार्यालय आदेश ::--

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.4(15)वन/2017-पार्ट दिनांक 05.01.2022 द्वारा नवगठित राजस्थान राज्य वन विकास निगम स्थापित होने से राज्य में विभागीय कार्य मण्डल कार्यालयों में पदस्थापित कार्यभारित कर्मकारों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 15ज(1)2022 / श्रम/प्रमुवसं/4175-4230 दिनांक 23.12.2022 द्वारा विभागीय कार्यमण्डल कार्यालयों में पदस्थापित कार्यप्रभारित कर्मकारों को आगामी आदेशों तक वर्तमान पदस्थापन पर संबंधित उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल के निर्देशों पर यथावत कार्य करने तथा उनके वेतन आहरण उनकी उपस्थिति प्रमाण-पत्र के आधार पर अन्य कार्यालयों से आहरित करने के आदेश प्रसारित किए गए थे।

वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के पत्रांक दिनांक 27.07.2023 द्वारा निर्देशित किया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्ति दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति सुनिश्चित की जावे।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 15ज(1)2022 / श्रम/प्रमुवसं/4175-4230 दिनांक 23.12.2022 की अनुपालना में विभागीय कार्यमण्डल कार्यालयों में पदस्थापित कार्यप्रभारित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति सुनिश्चित करने हेतु कार्यप्रभारित कर्मकारों को सेवानिवृत्ति से एक माह पूर्व वर्तमान पदस्थापित कार्यालय से उनके वर्तमान वेतन आहरण कार्यालय में स्थानान्तरित/पदस्थापन करना सुनिश्चित करे।

(मुनीश कुमार गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15 (1)2022 / कार्मिक-स्ट्रेन्थ / प्रमुवसं-00336 / 6023-27 दिनांक : 06/10/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
2. सम्बंधित मुख्य वन संरक्षक.....
3. संबंधित उप वन संरक्षक.....
4. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
5. रक्षित पत्रावली

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

Signature valid

Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation : Principal Chief
Conservator of Forests
Date: 2023.10.06 17:17 IST
Reason: Approved